


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272169
CG-DL-E-29042026-272169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2068]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2068]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2026

का.आ. 2141(अ).— भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (पशु-चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उप-नियम (5) के साथ पठित, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 की सं. 52) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के साथ परामर्श करके, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में, उप-शीर्षक "डिग्री" के अंतर्गत, क्रमांक 95 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ शामिल की जाएं :-

विश्वविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थान	मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्ताक्षर (abbreviation)
(1)	(2)	(3)
"96. पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विद्यालय, गजपति, ओडिशा के संबंध में सेंचुरियन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, ओडिशा	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक	पशु चिकित्सा और पशुपालन स्नातक (B.V.Sc. और A.H.) यह योग्यता केवल 31 जनवरी 2029 को या उसके बाद प्रदान किए जाने पर ही मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी।

[फा. सं. K-12052/23/2022-LH]

आर एस सिन्हा, अपर सचिव

नोट- भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में पिछला संशोधन दिनांक 23 फरवरी, 2026 की अधिसूचना संख्या का.आ.1020 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 25 फरवरी, 2026 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th April, 2026

S.O. 2141(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting with the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely: –

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub-heading “DEGREES”, after serial number 95 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

University or Veterinary Institution	Recognised Veterinary Qualification	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
“96. Centurion University of Technology and Management, Odisha in respect of the School of Veterinary and Animal Sciences, Gajapati, Odisha	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. and A.H. This qualification shall be a recognised Veterinary qualification only when granted on or after the 31 st January 2029.”.

[F. No. K-12052-1/23/2022-LH]

R S SINHA, Addl. Secy.

Note- The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was last amended *vide* notification number S.O.1020(E), dated the 23rd February ,2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section3, sub-section(ii) dated 25th February ,2026.